फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

अशोक कुमार बनाम कंचन कौराह

प्रकरण सं. 2/29/2025 तारीख रजू 12.5.25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
12.05.2025	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 अंतर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र के सर्मथन में प्रार्थी ने अपना शपथ पत्र पेश किया व अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया, वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। जिसमें वकील प्रार्थी ने प्रमुखतः यह कथन किया कि उक्त आराजी बाबत प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा न करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः उभय पक्षकारान को विवादित आराजी खसरा नं. 1878/981, 983, 1032, 2086/979 वाके ग्राम रामबास तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखने, रहन, बय न करने बाबत रजिस्टर्ड नोटिस तामिल करवाने की शर्त पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबंद किया जाता है। आर्डर 39 सीपीसी के तहत किसी एक भी पक्षकार के उपस्थित होकर बहस चाहने पर वादी अधिवक्ता को अनिवार्यत बहस करनी होगी। अधिवक्ता वादी द्वारा बहस हेतु समय चाहने पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समक्षी जावेंगी। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 20.05.2025 को असालतन/वकालतन उपस्थित होकर पेश करें, कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब हो, पत्रावली दिनांक 20.05.2025 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

अशोक बनाम कंचन

प्रकरण सं. 2/29/2025 तारीख रजू 12.05.2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
06.8.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उप॰ बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 13.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज॰	
13.8.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। निर्णय नही हो सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.8.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज॰	
19.8.25	पत्रावली पेश हुई। फरीकान पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र 11,128 अन्तर्गत धारा भू॰राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर निर्णीत कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA के चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA इसी स्तर पर खारिज/ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज॰	